308

416

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा, (म.प्र.) R. 5175-दो/15

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

1. शिव प्रसाद तनय भोला कोटवार, उम्र 65 वर्ष, पेशा खेती,
2. दशरथ प्रसाद तनय श्री भोला कोटवार, आयु 60 वर्ष, पेशा खेती,
दोनो निवासी ग्राम कटिया खुर्द, थाना/तह. मैहर, जिला सतना, (म.प्र.)
.... निगरानीकर्तागण

बनाम

सूरजदीन तनय रामेश्वर प्रसाद दाहिया, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम कटिया खुर्द, थाना/तहसील मैहर, जिला सतना, (म.प्र.)

.... प्रत्यर्थी/आवेदक

श्री राकेश कु० निगम एड द्वारा आज दिनांक 20.11.15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर, जिला सतना, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 35/अपील/2013–14, आदेश दिनांक 21.09.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

:: **संक्षिप्त तथ्य** ::

1. यह कि संक्षेप में निगरानी का सारांश यह है कि प्रत्यर्थी/आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार अधिनियम के अन्तर्गत निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

राकेश निगम 20/11/15

XXXIX(a)-BR(H)-11

(308)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–5175-II/15** जिला–सतना

शिवप्रसाद कोटवार/सूरजदीन दाहिया

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 35/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	